



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20102022-239755
CG-DL-W-20102022-239755

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20]	नई दिल्ली, अक्टूबर 2—अक्टूबर 8, 2022, शनिवार/ आश्विन 10—आश्विन 16, 1944
No. 20]	NEW DELHI, OCTOBER 2—OCTOBER 8, 2022, SATURDAY/ASVINA 10—ASVINA 16, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2022

आ.अ. 185.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 41 – निर्मली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-41)निर्मली-13 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री रविन्द्र प्रसाद साह**, जो बिहार के 41- निर्मली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथा पेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रविन्द्र प्रसाद साह**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रविन्द्र प्रसाद साह**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भांजी द्वारा 14 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल द्वारा अपने दिनांक 10 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 411-2/निर्वा0, सुपौल के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल द्वारा अपने दिनांक 10 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 411-2/निर्वा0, सुपौल के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री रविन्द्र प्रसाद साह**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रविन्द्र प्रसाद साह**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 41- निर्मली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के अभ्यर्थी **श्री रविन्द्र प्रसाद साह**, ग्राम+पोस्ट- सरायगढ, पी.एस - किशनपुर, जिला- सुपौल, पिन-852105 बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/41/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 25th July, 2022

O.N. 185.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **41-Nirmali** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **11th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Supaul**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-41)Nirmali-13, dated 04 January, 2021, **Sh. Ravindra Prasad Sah**, a contesting candidate of **Rashtrya Secular Majlis Party** of Bihar from **41-Nirmali** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Supaul**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ravindra Prasad Sah**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Ravindra Prasad Sah**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by niece (Bhanji) on 14th July, 2021, at the address given by **Sh. Ravindra Prasad Sah**. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Supaul**, vide its letter no. 411-2/District.Nirva, dated 10 August, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Supaul**, in his Supplementary Report, vide its letter No.411-2/Nirva., dated 10 August, 2021 has reported that **Sh. Ravindra Prasad Sah**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Ravindra Prasad Sah**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ravindra Prasad Sah**, resident of **AT+POST-SARAIGARH,PS- KISANPUR DIST- SUPAUL, PIN- 852105, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Rashtrya Secular Majlis Party** Bihar in **41-Nirmali** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/41/CEMS-III]

By Order

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

आ.अ. 186.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 115 – बनियापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सारण, छपरा, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 07 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-115)बनियापुर-225 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री नवल किशोर कुशवाहा**, जो बिहार के 115- बनियापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सारण, छपरा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री नवल किशोर कुशवाहा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री नवल किशोर कुशवाहा**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सारण, छपरा, द्वारा अपने दिनांक 5 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 565/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सारण, छपरा, द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 670/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री नवल किशोर कुशवाहा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री नवल किशोर कुशवाहा**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 115- बनियापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री नवल किशोर कुशवाहा**, निवासी ग्राम- पैगम्बरपुर, पो.-

मनोहर कन्हौली, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/115/सी.ई.एम.एस.-III]

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2022

O.N. 186.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **115-Baniapur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Saran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-115)Banipur-225, dated 07 January, 2021, **Sh. Nawal Kishor Kushwaha**, a contesting candidate of Bihar from **115-Baniapur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Saran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Nawal Kishor Kushwaha**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Nawal Kishor Kushwaha**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 11th July, 2021, at the address given by **Sh. Nawal Kishor Kushwaha**. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Saran**, vide its letter no. 565/District.Nirva, dated 05 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Saran**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 670/Nirva., dated 06 September, 2021 has reported that **Sh. Nawal Kishor Kushwaha**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Nawal Kishor Kushwaha**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Nawal Kishor Kushwaha**, resident of **Gram- Paigambarpur, Post- Manohar Kanhauli, Thana- Baniapur, Distt- Saran**, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in **115-Baniapur** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/115/CEMS-III]

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

आ.अ. 187.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 45 – छातापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-45)छातापुर-09 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मनोज कुमार मंडल, जो बिहार के 45- छातापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मनोज कुमार मंडल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मनोज कुमार मंडल को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच के सामने अभ्यर्थी के घर के गेट पर 14 जुलाई, 2021 को चिपका दिया। कार्यालय परिचारी जिला निर्वाचन शाखा सुपौल, से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल द्वारा अपने दिनांक 10 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 411-2/निर्वा0, सुपौल के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सुपौल द्वारा अपने दिनांक 10 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 411-2/निर्वा0, सुपौल के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मनोज कुमार मंडल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनोज कुमार मंडल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 45- छातापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार मंडल, निवासी ग्राम+पोस्ट ऑफिस- परियाही, पी.एस - छातापुर, जिला- सुपौल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/45/सी.ई.एम.एस.-III]

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2022

O.N. 187.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **45-Chhatapur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **11th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Supaul**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-45)Chhatapur-09, dated 04 January, 2021, **Sh. Manoj Kumar Mandal**, a contesting candidate of Bihar from **45-Chhatapur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Supaul**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Manoj Kumar Mandal**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Manoj Kumar Mandal**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was pasted on July 14, 2021 at the gate of the candidate's house in front of the Ward Member and Ward Panch, at the address given by **Sh. Manoj Kumar Mandal**. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Supaul**, vide its letter no. 411-2/District.Nirva, dated 10 August, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, **Supaul**, in his Supplementary Report, vide its letter No.411-2/Nirva., dated 10 August, 2021 has reported that **Sh. Manoj Kumar Mandal**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Manoj Kumar Mandal**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Manoj Kumar Mandal**, resident of **AT+POST-PARIYAH, PS- CHHATAPUR, DIST- SUPAUL**, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in **45-Chhatapur** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/45/CEMS-III]

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

आ.अ. 188.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 90— मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-90)मीनापुर-19 के जरिए अग्रेषित दिनांक 16 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्रीमती भारती देवी** जो बिहार के **90— मीनापुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती भारती देवी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्रीमती भारती देवी**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्रीमती भारती देवी**, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के भगीना द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर**, द्वारा अपने दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के पत्र संख्या 7-149/2020-922 जिला 0 निर्वा 0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर**, द्वारा अपने दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के पत्र संख्या 7-149/2020-922 जिला 0 निर्वा 0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्रीमती भारती देवी**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमती भारती देवी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **90- मीनापुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्रीमती भारती देवी**, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुरुग, जिला- वैशाली, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/90/सी.ई.एम.एस.-III]

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2022

O.N. 188.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **90-Minapur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **16th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Muzaffarpur**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-90)Minapur-19, dated 04 January, 2021, **Smt. Bharti Devi**, a contesting candidate from **90-Minapur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Muzaffarpur**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Bharti Devi**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Smt. Bharti Devi**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by nephew on 08th October, 2021, at the address given by **Smt. Bharti Devi**. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Muzaffarpur**, vide its letter no. 7-149/2020-922 /District.Nirva, dated 11 December, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Muzaffarpur**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 7-149/2020-922 / District.Nirva, dated 11 December, 2021 has reported that **Smt. Bharti Devi**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Bharti Devi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Bharti Devi**, resident of **AT- Kajipur Thathan, POST- Thathan Burjug, PS- Sadar, DIST- Vaishali**, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in **90-Minapur** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/55/CEMS-III]

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

आ.अ. 189.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 55— कोचाधामन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, किशनगंज, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-55)कोचाधामन-800 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अवध दास जो बिहार के **55— कोचाधामन** विधान सभा निर्वाचन

क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, किशनगंज, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अवध दास, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अवध दास, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अवध दास, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी से दिनांक 02 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, किशनगंज, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 382/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, किशनगंज, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 382/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अवध दास, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अवध दास, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 55- कोचाधामन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अवध दास निवासी ग्राम- भोपाला, पोस्ट ऑफिस- अल्टा हाट, थाना- कोचाधामन, जिला- किशनगंज, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/55/सी.ई.एम.एस.-III]

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2022

O.N. 189.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **55-Kochadhaman** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Kishanganj**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-55)Kochadhaman-800, dated 31 December, 2020, **Sh. Avadh Das**, a contesting candidate of Bihar from **55-Kochadhaman** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Kishanganj**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Avadh Das**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Avadh Das**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 02nd August, 2021, at the address given by **Sh. Avadh Das**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Kishanganj**, vide its letter no.382/District.Nirva, dated 06 December, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Kishanganj**, in his Supplementary Report, vide its letter No.382/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Sh. Avadh Das**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Avadh Das**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Avadh Das**, resident of **Vill-Bhopala, P.O.- Alta Hat, P.S.- Kochadhaman, Dist.- Kishanganj**, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in **55-Kochadhaman** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/55/CEMS-III]

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आ.अ. 190.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 137 – मोहिदीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार के पत्र सं. 2571 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-137) मोहिदीननगर -7842 के जरिए अग्रेषित दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री ज्ञानेश्वर सिंह,** जो बिहार के **137- मोहिदीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री ज्ञानेश्वर सिंह,** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री ज्ञानेश्वर सिंह,** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के चाचा द्वारा दिनांक 25.07.2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के चाचा से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर द्वारा अपने दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 519/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 519/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री ज्ञानेश्वर सिंह,** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री ज्ञानेश्वर सिंह,** निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **137- मोहिदीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री ज्ञानेश्वर सिंह, निवासी ग्राम- अकौना, पो0- पुनपुन, थाना- पुनपुन, जिला- पटना,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/137/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

O.N. 190.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **137-Mohiuddinnagar** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16 th December, 2020**, vide letter no. 2571 submitted by the District Election Officer, **Samastipur**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-137)Mohiuddinnagar-, dated 24 December, 2020, **Sh. Gyaneshwar Singh**, a contesting candidate of Bihar from **137-Mohiuddinnagar** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Samastipur**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Gyaneshwar Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Gyaneshwar Singh**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by uncle of candidate on 25th July, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Samastipur**, vide its letter no.519/District.Nirva, dated 02 September, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Samastipur**, in his Supplementary Report, vide its letter No.519/Nirva., dated 02 September, 2021 has reported that **Sh. Gyaneshwar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Gyaneshwar Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Gyaneshwar Singh**, resident of **Vill-Akauna, Post- Punpun, Thana- Punpun, Dist.- Patna**, a contesting candidate from **137-Mohiuddinnagar**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/137/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आ.अ. 191.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 241 – जमुई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई, बिहार के पत्र सं. 1831 दिनांक 23 दिसंबर 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-241) जमुई-51 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रंजीत शर्मा, जो बिहार के 241- जमुई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रंजीत शर्मा, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रंजीत शर्मा, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी से दिनांक 23 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई द्वारा अपने दिनांक 26 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 362/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 362/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रंजीत शर्मा, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रंजीत शर्मा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 241- जमुई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रंजीत शर्मा, निवासी ग्राम- संगथू, पोस्ट- अमरथ, थाना+जिला- जमुई, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/241/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

O.N. 191.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **241-Jamui** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **23 th December, 2020**, vide letter no. 1831 submitted by the District Election Officer, **Jamui**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-241)Jamui -51 dated 04 January, 2021, **Sh. Ranjit Sharma**, a contesting candidate of Bihar from **241-Jamui** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Jamui**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ranjit Sharma**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Ranjit Sharma**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 23rd July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **jamui**, vide its letter no.362/District.Nirva, dated 26 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Jamui**, in his Supplementary Report, vide its letter No.362/Nirva. dated 26 August, 2021 has reported that **Sh. Ranjit Sharma**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Ranjit Sharma**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ranjit Sharma**, resident of **Vill-Sangthu, Post- Amarath, Thana+Dist.- Jamui**, a contesting candidate from **241-Jamui** Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/241/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आ.अ. 192.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 242 – झांझा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई, बिहार के पत्र सं. 1831 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-242) झांझा-04 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री अजीत कुमार**, जो बिहार के **242- झांझा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अजीत कुमार**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री अजीत कुमार**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर दो स्थानीय व्यक्तियों से दिनांक 22 जुलाई, 2021 को नोटिस हस्तगत करा दिया गया। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई द्वारा अपने दिनांक 26 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 362/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जमुई द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 362/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री अजीत कुमार**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अजीत कुमार**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **242- झांझा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री अजीत कुमार**, निवासी ग्राम- तारापुरा, पोस्ट- छापा, थाना- झांझा,

जिला- जमुई, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/242/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

O.N. 192.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **242-Jhajha** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **23rd December, 2020**, vide letter no. 1831 submitted by the District Election Officer, **Jamui**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-242)Jhajha -04 dated 04 January, 2021, **Sh. Ajit Kumar**, a contesting candidate of Bihar from **242-Jhajha** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Jamui**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ajit Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Ajit Kumar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by two local person on 22nd July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Jamui**, vide its letter no.362/District.Nirva, dated 26 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Jamui**, in his Supplementary Report, vide its letter No.362/Nirva. dated 26 August, 2021 has reported that **Sh. Ajit Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Ajit Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ajit Kumar**, resident of **Vill-Tarakura, Post- Chhapa, Thana-Jhajha, Dist.- Jamui**, a contesting candidate from **242-Jhajha**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/242/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 193.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 112 - महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-112) **महाराजगंज -163** के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री ओम प्रकाश शर्मा**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **112 - महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री ओम प्रकाश शर्मा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री ओम प्रकाश शर्मा**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर उदय कुमार शर्मा (अभ्यर्थी के लिए) द्वारा दिनांक 03.08.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 148-1/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 148-1/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री ओम प्रकाश शर्मा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री ओम प्रकाश शर्मा**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **112 - महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री ओम प्रकाश शर्मा**, निवासी ग्राम—**शुरबीर, पोस्ट - पटेढी**,

थाना- महाराजगंज, जिला- सिवान इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/112/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 193.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **112-Maharajganj** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **24th December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-112) **Maharajganj** - 163, dated 06, January 2021, **Sh. Om Prakash Sharma**, a contesting candidate of Bihar from **112-Maharajganj** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vishwanath Yadav**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Om Prakash Sharma**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Uday Kumar Sharma for the candidate on 03th August, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.148-1/Nirva, dated: 08th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, **Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 148-1/Nirva., dated 08th December, 2021 has reported that **Sh. Om Prakash Sharma**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Om Prakash Sharma**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Om Prakash Sharma**, resident of **Vill- Shurbir, Post- Patedhi, P.S- Maharajganj, Dist.- Siwan**, a contesting candidate from **112-Maharajganj**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/112/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 194.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 112 - महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-112) **महाराजगंज -163** के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री विश्वनाथ यादव**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **112 - महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री विश्वनाथ यादव**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री विश्वनाथ यादव**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 148-1/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 148-1/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री विश्वनाथ यादव**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विश्वनाथ यादव**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **112 - महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री विश्वनाथ यादव**, निवासी ग्राम+पोस्ट- बंगरा, थाना-

महाराजगंज, जिला- सिवान इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/112/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 194.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **112-Maharajganj** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **24th December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-112) **Maharajganj** - 163, dated 06, January 2021, **Sh. Vishwanath Yadav**, a contesting candidate of Bihar from **112-Maharajganj** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vishwanath Yadav**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Vishwanath Yadav**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 05th August, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.148-1/Nirva, dated: 08th December, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 148-1/Nirva., dated 08th December, 2021 has reported that **Sh. Vishwanath Yadav**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Vishwanath Yadav**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vishwanath Yadav**, resident of **Vill+Post - Bangra, P.S-Maharajganj, Dist.- Siwan**, a contesting candidate from **112-Maharajganj**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/112/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 195.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 112 - महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-112) **महाराजगंज -163** के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सुरेन्द्र कुमार यादव**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **112 - महाराजगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सुरेन्द्र कुमार यादव**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सुरेन्द्र कुमार यादव**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 148-1/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 148-1/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सुरेन्द्र कुमार यादव**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सुरेन्द्र कुमार यादव**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **112 - महाराजगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, निवासी ग्राम- सारंगपुर, पोस्ट - तरवारा, थाना- जी.बी नगर, जिला- सिवान** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/112/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 195.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **112-Maharajganj** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **24th December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-112) **Maharajganj** - 163, dated 06, January 2021, **Sh. Surendra Kumar Yadav**, a contesting candidate of Bihar from **112-Maharajganj** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Surendra Kumar Yadav**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Surendra Kumar Yadav**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 05th August, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.148-1/Nirva, dated: 08th December, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 148-1/Nirva., dated 08th December, 2021 has reported that **Sh. Surendra Kumar Yadav**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Surendra Kumar Yadav**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Surendra Kumar Yadav**, resident of **Vill – Sarangpur, Post –**

Tarvara, P.S- G B Nagar, Dist.- Siwan, a contesting candidate from **112-Maharajganj**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/112/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 196.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 71— बिहारीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधेपुरा** बिहार के पत्र सं. 2218 दिनांक 17 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-71) बिहारीगंज -7978 के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री अनिरुद्ध मेहता** जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **71— बिहारीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधेपुरा**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अनिरुद्ध मेहता**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री अनिरुद्ध मेहता**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी, द्वारा दिये गये पते पर उनके पुत्र से दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधेपुरा**, द्वारा अपने दिनांक 12 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या X-95/2020-2021-131/निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधेपुरा**, द्वारा अपने दिनांक 12 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या X-95/2020-2021-131/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री अनिरुद्ध मेहता**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अनिरुद्ध मेहता**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **71- बिहारीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री अनिरुद्ध मेहता, निवासी ग्राम+पो0- मधुबन, भाया-बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा, (बिहार) पिनकोड- 852101 (बिहार)** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/71/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 196.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **71-Bihariganj** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **17th December, 2020**, vide letter no. 2218 submitted by the District Election Officer, **Madhepura**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-71)Bihariganj-7978, dated 31 December, 2020, **Sh. Anirudh Mehta**, a contesting candidate of Bihar from **71-Bihariganj** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhepura**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 10th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Anirudh Mehta**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 10th December, 2021, **Sh. Anirudh Mehta**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by son of candidate on 30th December, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhepura**, vide its letter no. X-95/2020-2021-131/District.Nirva, dated 12 February, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Madhepura**, in his Supplementary Report, vide its letter No. X-95/2020-2021-131/District.Nirva, dated 12 February, 2021 has reported that **Sh. Anirudh Mehta**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Anirudh Mehta**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Anirudh Mehta**, resident of **Vill + Post – Madhuban, Bhaya-Bihariganj, District- Madhepura (Bihar), Pin- 852101**, a contesting candidate from **71- Bihariganj**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/71/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 197.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 34 - बाबूबरही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार के पत्र सं. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-34) **बाबूबरही -7803** के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री मनोज झा**, जो बिहार के **34-बाबूबरही** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मनोज झा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री मनोज झा**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के पिता द्वारा दिनांक 27.10.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा अपने दिनांक 25 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 964/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा दिनांक 25 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 964/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री मनोज झा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनोज झा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **34 - बाबूबरही** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मनोज झा, निवासी ग्राम- सारा, पोस्ट- सोनपताही, थाना- बाबूबरही - 847401 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/34/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 197.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **34-Babubarhi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **18th December, 2020**, vide letter no. 63 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-34)**Babubarhi** -7803, dated 24 December, 2020, **Sh. Manoj Jha**, a contesting candidate of Bihar from **34-Babubarhi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Manoj Jha**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Manoj Jha**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by father of candidate on 27th October, 2021 at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhubani**, vide its letter no.964/Nirva, dated 25th November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Madhubani**, in his Supplementary Report, vide its letter No.964/Nirva., dated 25th November, 2021 has reported that **Sh. Manoj Jha**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Manoj Jha**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Manoj Jha**, resident of **Vill-Sarra, Post- Sonapatahi, P.S-Babubarhi, Dist.- Madhubani - 847401**, a contesting candidate from **34-Babubarhi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/34/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 198.—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 34 - बाबूबरही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार के पत्र सं. 63 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-34) **बाबूबरही -7803** के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री रामा साहनी**, जो बिहार के **34-बाबूबरही** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रामा साहनी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रामा साहनी**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 28.10.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा अपने दिनांक 25 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 964/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा दिनांक 25 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 964/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री रामा साहनी**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रामा साहनी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **34 - बाबूबरही** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रामा साहनी**, निवासी **ग्राम- कानहौली मल्लिक टोल, भाया- खजौली, थाना - खजौली, जिला- मधुबनी 847228** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/34/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 198.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **34-Babubarhi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **18th December, 2020**, vide letter no. 63 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-34)**Babubarhi** - 7803, dated 24 December, 2020, **Sh. Rama Sahni**, a contesting candidate of Bihar from **34-Babubarhi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rama Sahni**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Rama Sahni**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 28th October, 2021 at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhubani**, vide its letter no.964/Nirva, dated 25th November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Madhubani**, in his Supplementary Report, vide its letter No.964/Nirva., dated 25th November, 2021 has reported that **Sh. Rama Sahni**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Rama Sahni**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rama Sahni**, resident of **Vill-Kanhauli Mallik Tol, Post-Kanhauli, Via Khajauli P.S- Khajauli, Dist.- Madhubani - 847228**, a contesting candidate from **34-Babubarhi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/34/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 199.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 38 – झंझारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार के पत्र सं. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-38) झंझारपुर -7801 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री राज कुमार सदाय**, जो बिहार के **38 – झंझारपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राज कुमार सदाय**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री राज कुमार सदाय**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 28.09.2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा अपने दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 925/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 925 /निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री राज कुमार सदाय**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राज कुमार सदाय**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **38 – झंझारपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री राज कुमार सदाय**, **वार्ड नं0 12, ग्राम – हसौली कल्याणपुर, पोस्ट – भीठभगवानपुर, जिला- मधुबनी**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/38/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 199.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **38 -Jhanjharpur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated 18th **December, 2020**, vide letter no. 63 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-38) Jhanjharpur -, dated 23 December, 2020, **Sh. Raj Kumar Saday**, a contesting candidate of Bihar from **38 -Jhanjharpur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Raj Kumar Saday**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Raj Kumar Saday**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 28th September, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhubani**, vide its letter no.925/District.Nirva, dated 02 November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, **Madhubani**, in his Supplementary Report, vide its letter No.925/Nirva., dated 02 November, 2021 has reported that **Sh. Raj Kumar Saday**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Raj Kumar Saday**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Raj Kumar Saday**, resident of **Ward No. – 12, Vill – Hasauli Kalyanpur, Post – Bhith Bhagwanpur, Distt.- Madhubani**, a contesting candidate from **38 -Jhanjharpur**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/38/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 200.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 38 – झंझारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार के पत्र सं. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-38) झंझारपुर -7801 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्रीमति बंदना देवी**, जो बिहार के **38 – झंझारपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमति बंदना देवी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्रीमति बंदना देवी**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त

होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के ना मिलने पर कार्यालय पिचारी द्वारा दिनांक 29.09.2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा अपने दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 519/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 925 /निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्रीमति बंदना देवी**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमति बंदना देवी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **38 - झंझारपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्रीमति बंदना देवी**, **ग्राम + पोस्ट - अररिया संग्राम, जिला-मधुबनी**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/38/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 200.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **38 -Jhanjharpur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated 18th **December, 2020**, vide letter no. 63 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-38) Jhanjharpur -, dated 23 December, 2020, **Smt. Bandana Devi**, a contesting candidate of Bihar from **38 -Jhanjharpur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Bandana Devi**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Smt. Bandana Devi**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by office attendant in district election office on 29th September, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhubani**, vide its letter no.925/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Madhubani, in his Supplementary Report, vide its letter No.925/Nirva., dated 02 November, 2021 has reported that **Smt. Bandana Devi**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Bandana Devi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Bandana Devi**, resident of **Vill + Post – Arariya Sangram, Dist.- Madhubani**, a contesting candidate from **38 -Jhanjharpur**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/38/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 201.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 51 – सिकटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अररिया**, बिहार के पत्र सं. 1500 दिनांक 26.12.2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-51)सिकटी-103 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री प्रकाश शर्मा**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **51-सिकटी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अररिया**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री प्रकाश शर्मा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री प्रकाश शर्मा**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के पुत्र से द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **अररिया** द्वारा अपने दिनांक 30 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या **539/निर्वा0**, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अररिया**, द्वारा अपने दिनांक 03 मार्च, 2022 के पत्र संख्या **110/निर्वा0**, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री प्रकाश शर्मा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री प्रकाश शर्मा**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **51- सिकटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री प्रकाश शर्मा**, निवासी **ग्राम- सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/51/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 201.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **51-Sikti** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **26th December, 2020**, vide letter no. 1500 submitted by the District Election Officer, **Araria**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-51)Sikti-103, dated 05 January, 2021, **Sh. Prakash Sharma**, a contesting candidate of Bihar from **51-Sikti** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Araria**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the

Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Prakash Sharma**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Prakash Sharma**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by son of candidate on 16th October, 2021, at the address given by **Sh. Prakash Sharma**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Araria**, vide its letter no.539/District.Nirva, dated 30 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Araria**, in his Supplementary Report, vide its letter No.110/Nirva., dated 03 March, 2022 has reported that **Sh. Prakash Sharma**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Prakash Sharma**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Prakash Sharma**, resident of **Vill-Sundari, Post- Batraha, Thana- Kursakanta, Dist.- Araria, PIN- 854332** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in **51-Sikti** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/51/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

आ.अ. 202.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 73 – मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधेपुरा**, बिहार के पत्र सं. 2218 दिनांक 17 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-73)मधेपुरा-7980 के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री ज्ञानदेव बचन**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **73 – मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधेपुरा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री ज्ञानदेव बचन, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री ज्ञानदेव बचन, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के चाचा द्वारा दिनांक 29.12.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मधेपुरा द्वारा अपने दिनांक 12 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या X-95/2020-2021- 131/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या X-95/2020-2021- 131/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री ज्ञानदेव बचन, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ज्ञानदेव बचन, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 73 – मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ज्ञानदेव बचन, पिता- अनिल कुमार, निवासी ग्राम+ पोस्ट – सुखासन (चकला), थाना+जिला- मधेपुरा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/73/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

O.N. 202.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 73- Madhepura Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated 17th December, 2020, vide letter no. 2218 submitted by the District Election Officer, Madhepura, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 73)Madhepura - 7980, dated 31 December, 2020, Sh. Gyandev Bachchan, a contesting

candidate of Bihar from **73- Madhepura** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhepura**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Gyandev Bachchan**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Gyandev Bachchan**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Uncle of the candidate on 29th December, 2021 at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhepura**, vide its letter no.X-95/2020-2021-131/Nirv., dated 12 February, 2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Madhepura**, in his Supplementary Report, vide its letter No. .X-95/2020-2021-131/Nirv., dated 12 February, 2022 has reported that **Sh. Gyandev Bachchan**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Gyandev Bachchan**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Gyandev Bachchan, S/o Anil Kumar** resident of **Vill+Post – Sukhasan (Chakla), Thana+Dist.- Madhepura**, a contesting candidate from **73- Madhepura**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/73/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

आ.अ. 203.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 73 – मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधेपुरा, बिहार के पत्र सं. 2218 दिनांक 17 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-73)मधेपुरा-7980 के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार साह, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के 73 – मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधेपुरा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रविन्द्र कुमार साह, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रविन्द्र कुमार साह, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 29.12.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मधेपुरा द्वारा अपने दिनांक 12 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या X-95/2020-2021- 131/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या X-95/2020-2021- 131/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रविन्द्र कुमार साह, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रविन्द्र कुमार साह, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 73 – मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रविन्द्र कुमार साह, पिता- जनार्दन साह, निवासी ग्राम- जिवछपुर, पोस्ट- भरही बाजार, थाना+जिला- मधेपुरा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/73/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

O.N. 203.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **73- Madhepura** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **17th December, 2020**, vide letter no. 2218 submitted by the District Election Officer, **Madhepura**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 73)**Madhepura** - 7980, dated 31 December, 2020, **Sh. Ravindra Kumar Sah**, a contesting candidate of Bihar from **73- Madhepura** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhepura**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ravindra Kumar Sah**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Ravindra Kumar Sah**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 29th December, 2021 at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhepura**, vide its letter no.X-95/2020-2021-131/Nirv., dated 12 February, 2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Madhepura**, in his Supplementary Report, vide its letter No. .X-95/2020-2021-131/Nirv., dated 12 February, 2022 has reported that **Sh. Ravindra Kumar Sah**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Ravindra Kumar Sah**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ravindra Kumar Sah, S/o Janardan Sah** resident of **Vill-Jivachpur, Post-Bhrrahi Bazar, Thana+Dist.- Madhepura - 852113**, a contesting candidate from **73-Madhepura**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/73/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

आ.अ. 204.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 215 – कुर्था विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार के पत्र सं. 3083 दिनांक 22 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-215)कुर्था -113 के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुभाष साव, जो बिहार के 215 – कुर्था विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुभाष साव, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुभाष साव, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी की माँ द्वारा दिनांक 10.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुभाष साव, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुभाष साव, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 215 – कुर्था विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुभाष साव, निवासी ग्राम- पहरपुरा, पो0- शहरतेलपा, थाना- करपी, जिला- अरवल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/215/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

O.N. 204.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **215- Kurtha** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **22nd December, 2020**, vide letter no. 3083 submitted by the District Election Officer, **Arwal**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 215)- **Kurtha** - 113, dated 05 January, 2021, **Sh. Subhash Saw**, a contesting candidate of Bihar from **215 – Kurtha** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Arwal**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Subhash Saw**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Subhash Saw**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the mother of candidate on 10th July, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Arwal**, vide its letter no.817/Nirv., dated 11 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Arwal**, in his Supplementary Report, vide its letter No.817/Nirva., dated 11 August, 2021 has reported that **Sh. Subhash Saw**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Subhash Saw**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Subhash Saw**, resident of **Vill-Paharpura, Post- Sahartelappa, Thana- Karpi, Dist.- Arwal**, a contesting candidate from **215 – Kurtha**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/215/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

आ.अ. 205.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 139 – रोसड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार के पत्र सं. 2571 दिनांक 16 दिसंबर 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-139) रोसड़ा -7840 के जरिए अग्रेषित दिनांक 24 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री शैलेन्द्र चौधरी**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **139 – रोसड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री शैलेन्द्र चौधरी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री शैलेन्द्र चौधरी**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर वार्ड सदस्य के सामने दिनांक 26.07.2021 को अभ्यर्थी के दरवाजे पर चिपका दिया गया था। वार्ड सदस्य से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर द्वारा अपने दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 521/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 521/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री शैलेन्द्र चौधरी**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री शैलेन्द्र चौधरी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **139 – रोसड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री शैलेन्द्र चौधरी**, निवासी ग्राम- धनगांवा गढ़पर, पो0- धनगांवा,

थाना- एकंगर सराय, जिला- नालंदा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/139/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

O.N. 205.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **139- Rosera** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2571 submitted by the District Election Officer, **Samastipur**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-139) Rosera- 7840, dated 24 December, 2021, **Sh. Shailendra Choudhary**, a contesting candidate of Bihar from **139- Rosera** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Samastipur**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Shailendra Choudhary**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Shailendra Choudhary**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was pasted on the door in front of ward member of candidate on 26th July, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Samastipur**, vide its letter no.521/District.Nirva, dated 02 September, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Samastipur**, in his Supplementary Report, vide its letter No.521/Nirva., dated 02 September, 2021 has reported that **Sh. Shailendra Choudhary**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Shailendra Choudhary**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Shailendra Choudhary**, resident of **Vill- Dhangama Gadhpur, Post- Dhangama, Thana- Ekangar sarai, Dist.- Nalanda**, a contesting candidate from **139- Rosera**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative

Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/139/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

आ.अ. 206.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 177 – हरनौत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, बिहार के पत्र सं. 467 दिनांक 19 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-177)हरनौत-121 के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री विजय कुमार**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **177 – हरनौत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री विजय कुमार**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री विजय कुमार**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री विजय कुमार**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विजय कुमार**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **177 – हरनौत** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री विजय कुमार, पिता- स्व० गोपाल जी, निवासी ग्राम+पोस्ट- नरसंडा, थाना- चंडी, जिला- नालन्दा**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/177/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

O.N. 206.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **177- Harnaut** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **19th December, 2020**, vide letter no. 467 submitted by the District Election Officer, **Nalanda**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 177) **Harnaut** - 121, dated 05 January, 2021, **Sh. Vijay Kumar**, a contesting candidate of Bihar from **177- Harnaut** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Nalanda**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vijay Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Vijay Kumar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 17th July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Nalanda**, vide its letter no.115/Nirv., dated 25 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Nalanda**, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirva., dated 25 August, 2021 has reported that **Sh. Vijay Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Vijay Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vijay Kumar, S/o Late Gopal Ji** resident of **Vill+Post -**

Narsanda, Thana- Chandi, Dist.- Nalanda, a contesting candidate from **177- Harnaut**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/177/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 207.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 135 - मोरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर**, बिहार के पत्र सं. 2571 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-135) **मोरवा -7844** के जरिए अग्रेषित दिनांक 24 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री नवीन साह**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **135 - मोरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री नवीन साह**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री नवीन साह**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 16.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर** द्वारा अपने दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 517/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर** द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 517/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री नवीन साह**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री नवीन साह**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **135 - मोरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री नवीन साह, निवासी ग्राम- हरपुर भिण्डी, वार्ड नं० 12, थाना- ताजपुर**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/135/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 207.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **135-Morwa** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2571 submitted by the District Election Officer, **Samastipur**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-135) **Morwa** - 7844, dated 24, December 2020, **Sh. Navin Sah** a contesting candidate of Bihar from **135-Morwa** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Samastipur**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Navin Sah** for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Navin Sah** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 16th July, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Samastipur**, vide its letter no.517/Nirva, dated: 02nd September, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Samastipur**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 517/Nirva., dated 02nd September, 2021 has reported that **Sh. Navin Sah** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Navin Sah** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Navin Sah** resident of **Vill- Harpur bhindi, Ward No. 12 P.S-Tajpur**, a contesting candidate from **135-Morwa**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/135/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 208.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 135 - मोरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर**, बिहार के पत्र सं. 2571 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-135) **मोरवा -7844** के जरिए अग्रेषित दिनांक 24 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री दिलीप कुमार राय**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **135 - मोरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री दिलीप कुमार राय**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री दिलीप कुमार राय**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 16.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर** द्वारा अपने दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 517/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **समस्तीपुर** द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 517/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री दिलीप कुमार राय**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री दिलीप कुमार राय**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **135 - मोरवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री दिलीप कुमार राय, निवासी ग्राम- गंगापुर, पोस्ट- वैनी, थाना- ताजपुर(वैनी), जिला- समस्तीपुर** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/135/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 208.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **135-Morwa** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2571 submitted by the District Election Officer, **Samastipur**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-135) **Morwa - 7844**, dated 24, December 2020, **Sh. Dilip Kumar Ray** a contesting candidate of Bihar from **135-Morwa** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Samastipur**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Dilip Kumar Ray** for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Dilip Kumar Ray** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 16th July, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Samastipur**, vide its letter no.517/.Nirva, dated: 02nd September, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Samastipur**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 517/Nirva., dated 02nd September, 2021 has reported that **Sh. Dilip Kumar Ray** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Dilip Kumar Ray** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dilip Kumar Ray** resident of **Vill- Gangapur, Post -Vaini, P.S-Tajpur(Vaini) Dist.- Samastipur**, a contesting candidate from **135-Morwa**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/135/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 209.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 105 - सिवान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-105) **सिवान -156** के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री व्यास देव प्रसाद**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **105 - सिवान** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री व्यास देव प्रसाद**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री व्यास देव प्रसाद**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 02 मई, 2022 के पत्र संख्या 75-1/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा दिनांक 02 मई, 2022 के पत्र संख्या 75-1/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री व्यास देव प्रसाद**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री व्यास देव प्रसाद**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **105 - सिवान** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री व्यास देव प्रसाद, फतेहपुर सिवान, पो0- सिवान, थाना- सिवान नगर, जिला-सिवान, 841226** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/105/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 209.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **105-Siwan** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **24th December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-105) **Siwan** - 156, dated 6 January, 2020, **Sh. Vyas Dev Prasad** a contesting candidate of Bihar from **105-Siwan** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vyas Dev Prasad** for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Vyas Dev Prasad** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 12th July, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.75-1/Nirva, dated: 02nd May, 2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 75-1/Nirva, dated: 02nd May, 2022 has reported that **Sh. Vyas Dev Prasad** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Vyas Dev Prasad** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vyas Dev Prasad** resident of **Fatehpur Siwan, Post – Siwan, P.S – Siwan Nagar, Distt. Siwan**, a contesting candidate from **105-Siwan**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/105/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 210.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 105 - सिवान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-105) **सिवान -156** के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **नेमतुल्लाह खान**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **105 - सिवान** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **नेमतुल्लाह खान**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **नेमतुल्लाह खान**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 28.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 02 मई, 2022 के पत्र संख्या 75-1/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा दिनांक 02 मई, 2022 के पत्र संख्या 75-1/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **नेमतुल्लाह खान**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **नेमतुल्लाह खान**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **105 - सिवान** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **नेमतुल्लाह खान, आजाद कॉलोनी, इस्माइल शहीद रोड सिवान, थाना-सिवान नगर, जिला-सिवान**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/105/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 210.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **105-Siwan** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **24th December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-105) **Siwan** - 156, dated 6 January, 2020, **Nemtullah Khan** a contesting candidate of Bihar from **105-Siwan** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Nemtullah Khan** for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Nemtullah Khan** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 28th July, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.75-1/Nirva, dated: 02nd May, 2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 75-1/Nirva, dated: 02nd May, 2022 has reported that **Nemtullah Khan** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Nemtullah Khan** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Nemtullah Khan** resident of **Azad Colony, Ismail Sahid Road Siwan, Post -Siwan, P.S-Siwan Nagar, Dist.- Siwan**, a contesting candidate from **105-Siwan**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/105/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

आ.अ. 211.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 176 – नालन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालन्दा**, बिहार के पत्र सं. 467 दिनांक 19 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-176)**नालन्दा-120** के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री ब्रह्मदेव प्रसाद**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **176 – नालन्दा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालन्दा**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री ब्रह्मदेव प्रसाद**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री ब्रह्मदेव प्रसाद**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के पुत्र बहू द्वारा दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालन्दा** द्वारा अपने दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालन्दा** द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री ब्रह्मदेव प्रसाद**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री ब्रह्मदेव प्रसाद**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **176 – नालन्दा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, निवासी ग्राम- महदीपुर, पो0- तेलहड़ा, जिला- नालन्दा**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/176/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2022

O.N. 211.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **176- Nalanda** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **19th December, 2020**, vide letter no. 467 submitted by the District Election Officer, **Nalanda**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 176) **Nalanda** - 120, dated 05 January, 2021, **Sh. Brahamdev Prasad**, a contesting candidate of Bihar from **176- Nalanda** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Nalanda**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Brahamdev Prasad**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Brahamdev Prasad**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Daughter in law of the candidate on 26th July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Nalanda**, vide its letter no.115/Nirv., dated 25 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Nalanda**, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirva., dated 25 August, 2021 has reported that **Sh. Brahamdev Prasad**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Brahamdev Prasad**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Brahamdev Prasad**, resident of **Vill- Mahdipur, Post-Telhara, Dist.-Nalanda**, a contesting candidate from **176- Nalanda**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/176/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

आ.अ. 212.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 159 - अमरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बांका, बिहार के पत्र सं. 2284 दिनांक 12 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-159) अमरपुर -7838 के जरिए अग्रेषित दिनांक 24 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री अंजनी कुमार**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **159 - अमरपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बांका, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अंजनी कुमार**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री अंजनी कुमार**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बांका द्वारा अपने दिनांक 03 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 470/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बांका द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 470/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री अंजनी कुमार**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अंजनी कुमार**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **159 - अमरपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री अंजनी कुमार, निवासी ग्राम- बल्लीकिता, पोस्ट-कौशलपुर, थाना- अपरपुर, जिला- बांका**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/159/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2022

O.N. 212.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **159-Amarpur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **12th December, 2020**, vide letter no. 2284 submitted by the District Election Officer, **Banka**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-159) **Amarpur** - 7838, dated 24, December 2020, **Sh. Anjani Kumar** a contesting candidate of Bihar from **159-Amarpur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Banka**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Anjani Kumar** for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Anjani Kumar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 08th July, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Banka**, vide its letter no.470/Nirva, dated: 03rd August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Banka**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 470/Nirva., dated 03rd August, 2021 has reported that **Sh. Anjani Kumar** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Anjani Kumar** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Anjani Kumar** resident of **Vill- Ballikitta, Post -Kaushalpur, P.S- Amarpur Dist.-Banka**, a contesting candidate from **159-Amarpur**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/159/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

आ.अ. 213.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 33 - खजौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार के पत्र सं. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-33) **खजौली -7804** के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री दिलीप कुवर**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **33-खजौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री दिलीप कुवर**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री दिलीप कुवर**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के भाई श्री सरोज कुमार द्वारा दिनांक 26.10.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा अपने दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 954/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 954/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री दिलीप कुवर**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री दिलीप कुवर**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **33 - खजौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री दिलीप कुवर, निवासी ग्राम-पोस्ट- दतूआर, पी.एस.- खजौली, जिला-मधुबनी, बिहार।** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/33/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2022

O.N. 213.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **33-Khajauli** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **18th December, 2020**, vide letter no. 63 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-33)**Khajauli** -7804, dated 23 December, 2020, **Sh. Dilip Kuwar**, a contesting candidate of Bihar from **33-Khajauli** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Dilip Kuwar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Dilip Kuwar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate brother Sh. Saroj Kumar on 26th October, 2021 at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhubani**, vide its letter no.954/Nirva, dated 22nd November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Madhubani**, in his Supplementary Report, vide its letter No.954/Nirva., dated 22nd November, 2021 has reported that **Sh. Dilip Kuwar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Dilip Kuwar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dilip Kuwar**, resident of **Vill+Post- Datuaar, P.S- Khajauli, Dist- Madhubani, Bihar**, a contesting candidate from **33-Khajauli**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/33/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

आ.अ. 214.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 229 – बोधगया (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया, बिहार के पत्र सं. 2477 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-229) **बोधगया (अ0जा0) -7961** के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री बिन्दु विकास अटल**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **229 – बोधगया (अ0जा0)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री बिन्दु विकास अटल**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री बिन्दु विकास अटल**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 04.09.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा अपने दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 527/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या VII-137/20-619/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री बिन्दु विकास अटल**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री बिन्दु विकास अटल**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **229 – बोधगया (अ0जा0)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री बिन्दु विकास अटल, निवासी नौधारिया, बीजू बीघा, बुनियादगंज, गया,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/229/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th August, 2022

O.N. 214.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **229-Bodh Gaya (SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2477 submitted by the District Election Officer, **Gaya**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-229) **Bodh Gaya (SC)** - 7961, dated 31, December 2020, **Sh. Bindu Vikash Atal**, a contesting candidate of Bihar from **229-Bodh Gaya (SC)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Gaya**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Bindu Vikash Atal**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Bindu Vikash Atal**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 04th September, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Gaya**, vide its letter no.527/Nirva, dated: 09th October, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Gaya**, in his Supplementary Report, vide its letter No. VII-137/20-619/Nirva., dated 25th November, 2021 has reported that **Sh. Bindu Vikash Atal**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Bindu Vikash Atal**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bindu Vikash Atal**, resident of **Naudhariya, Biju Bigha, Buniyadganj, Gaya**, a contesting candidate from **229-Bodh Gaya (SC)** Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/229/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

आ.अ. 215.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 229 – बोधगया (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया, बिहार के पत्र सं. 2477 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-229) **बोधगया (अ0जा0) -7961** के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री रवीन्द्र राजवंशी**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **229 – बोधगया (अ0जा0)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रवीन्द्र राजवंशी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रवीन्द्र राजवंशी**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 02.09.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा अपने दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 528/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या VII-137/20-619/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री रवीन्द्र राजवंशी**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत

निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रवीन्द्र राजवंशी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **229 – बोधगया (अ0जा0)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रवीन्द्र राजवंशी, निवासी ग्राम- पिटौरा, पोस्ट- जी.बी.केनडुआ, थाना-सिरदला, जिला- नवादा**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/229/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th August, 2022

O.N. 215.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **229-Bodh Gaya (SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2477 submitted by the District Election Officer, **Gaya**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-229) **Bodh Gaya (SC)** - 7961, dated 31, December 2020, **Sh. Rabindra Rajbanshi**, a contesting candidate of Bihar from **229-Bodh Gaya (SC)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Gaya**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rabindra Rajbanshi**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Rabindra Rajbanshi**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 02nd September, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Gaya**, vide its letter no.528/.Nirva, dated: 09th October, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Gaya**, in his Supplementary Report, vide its letter No. VII-137/20-619/Nirva., dated 25th November, 2021 has reported that **Sh. Rabindra Rajbanshi**, has neither submitted any

representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Rabindra Rajbanshi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rabindra Rajbanshi**, resident of **Vill- Pitaura, PO- G.B.Kendua, PS- Sirdala, Dist.- Nawada**, a contesting candidate from **229-Bodh Gaya (SC)** Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/229/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

आ.अ. 216.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 94 - मुजफ्फरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर**, बिहार के पत्र सं. 2332 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-94) **मुजफ्फरपुर -18** के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री राम बाबू साह**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **94 - मुजफ्फरपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राम बाबू साह**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री राम बाबू साह**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 19.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 942/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 942/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राम बाबू साह, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राम बाबू साह, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **94 - मुजफ्फरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राम बाबू साह, निवासी ग्राम- सुजावलपुर, पोस्ट- ढोली, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/94/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2022

O.N. 216.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **94-Muzaffarpur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2332 submitted by the District Election Officer, **Muzaffarpur**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-94) **Muzaffarpur** - 18, dated 04, January 2021, **Sh. Ram Babu Sah**, a contesting candidate of Bihar from **94-Muzaffarpur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Muzaffarpur**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ram Babu Sah**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Ram Babu Sah**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 19th July, 2021 at the address given by the candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Muzaffarpur**, vide its letter no.942/.Nirva, dated: 21st December, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Muzaffarpur**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 942/Nirva., dated 21st December, 2021 has reported that **Sh. Ram Babu Sah**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Ram Babu Sah**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ram Babu Sah**, resident of **Vill- Sujawalpur, Post - Dholi, P.S-Skara, Dist.-Muzaffarpur**, a contesting candidate from **94-Muzaffarpur**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/94/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

आ.अ. 217.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 57 - बायसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार के पत्र सं. 2094 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-57) **बायसी -7996** के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सर्वेश कुमार**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **57-बायसी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सर्वेश कुमार**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सर्वेश कुमार**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा अपने दिनांक 01 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 65/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 65/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सर्वेश कुमार**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सर्वेश कुमार**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **57 - बायसी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री सर्वेश कुमार**, निवासी **ग्राम-माला, पोस्ट-पी.एस.- बायसी, जिला-पूर्णिया, पिन- 854315 बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/57/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2022

O.N. 217.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **57-Baisi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2094 submitted by the District Election Officer, **Purnea**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-57)**Baisi** -7996, dated 31 December, 2020, **Sh. Sarvesh Kumar**, a contesting candidate of Bihar from **57-Baisi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Purnea**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sarvesh Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Sarvesh Kumar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 06th January, 2022 at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Purnea**, vide its letter no.65/Nirva, dated 01st February, 2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Purnea**, in his Supplementary Report, vide its letter No.65/Nirva., dated 01st February, 2022 has reported that **Sh. Sarvesh Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Sarvesh Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sarvesh Kumar**, resident of **Vill- Mala, PO+PS- Baisi, Dist- Purnea, Pin- 854315, Bihar**. a contesting candidate from **57-Baisi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/57/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

आ.अ. 218.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 57 - बायसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार के पत्र सं. 2094 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-57) **बायसी -7996** के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **मोहम्मद नौशाद आलम**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **57-बायसी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **मोहम्मद नौशाद आलम**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **मोहम्मद नौशाद आलम**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के भाभी शहजादी प्रवीण द्वारा दिनांक 07.01.2022 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा अपने दिनांक 01 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 65/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 65/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **मोहम्मद नौशाद आलम**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मोहम्मद नौशाद आलम**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **57 - बायसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **मोहम्मद नौशाद आलम, निवासी ग्राम-गंगहर- पोस्ट- बायसी, पी.एस.- बायसी, जिला- पूर्णिया, पिन- 854315 बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/57/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2022

O.N. 218.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **57-Baisi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **16th December, 2020**, vide letter no. 2094 submitted by the District Election Officer, **Purnea**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-57)**Baisi** -7996, dated 31 December, 2020, **Mohammed Naushad Alam**, a contesting candidate of Bihar from **57-Baisi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Purnea**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Mohammed Naushad Alam**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Mohammed Naushad Alam**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate brother's wife Sahajadi Perween on 07th January, 2022 at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Purnea**, vide its letter no.65/Nirva, dated 01st February, 2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Purnea**, in his Supplementary Report, vide its letter No.65/Nirva., dated 01st February, 2022 has reported that **Mohammed Naushad Alam**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mohammed Naushad Alam**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
 - ii. *has no good reason or justification for the failure,*
- the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";*

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mohammed Naushad Alam**, resident of **Vill- Ganghar, PO- Baisi, PS- Baisi, Dist- Purnea, Pin- 854315, Bihar**, a contesting candidate from **57-Baisi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/57/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 219.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 214 – अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अरवल**, बिहार के पत्र सं. 3083 दिनांक 22 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-214)अरवल -112 के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री कृष्ण किशोर**, जो बिहार के **214 – अरवल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कृष्ण किशोर, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कृष्ण किशोर, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 14.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण किशोर, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कृष्ण किशोर, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **214 – अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री कृष्ण किशोर, निवासी ग्राम- पटना, पोस्ट- लोहियानगर, थाना- कुम्हारार, वार्ड नं0-45 जिला- पटना पिन- 800020**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/214/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 219.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **214- Arwal** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **22nd December, 2020**, vide letter no. 3083 submitted by the District Election Officer, **Arwal**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 214)- **Arwal** - 112, dated 05 January, 2021, **Sh. Krishna Kishor**, a contesting candidate of Bihar from **214 – Arwal** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Arwal**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Krishna Kishor**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Krishna Kishor**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 14th July, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Arwal**, vide its letter no.817/Nirv., dated 11 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Arwal**, in his Supplementary Report, vide its letter No.817/Nirv., dated 11 August, 2021 has reported that **Sh. Krishna Kishor**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Krishna Kishor**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Krishna Kishor**, resident of **Vill- Patna, Post- Lohiyanagar, Thana- Kumharar, Ward No. 45, Dist.- Patna, Pin- 800020** a contesting candidate from **214 – Arwal**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/214/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 220.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 214 – अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अरवल**, बिहार के पत्र सं. 3083 दिनांक 22 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-214)**अरवल** -112 के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री संजय कुमार**, जो बिहार के **214 – अरवल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अरवल**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री संजय कुमार**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री संजय कुमार**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **अरवल** द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अरवल** द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री संजय कुमार**, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री संजय कुमार**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **214 – अरवल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री संजय कुमार**, निवासी ग्राम+पोस्ट- बेलखरा, थाना- करपी, जिला- **अरवल**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/214/सी.ई.एम.एस.-III]

विनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 220.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **214- Arwal** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **22nd December, 2020**, vide letter no. 3083 submitted by the District Election Officer, **Arwal**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 214)- **Arwal** - 112, dated 05 January, 2021, **Sh. Sanjay Kumar**, a contesting candidate of Bihar from **214 – Arwal** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Arwal**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sanjay Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Sanjay Kumar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 12th July, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Arwal**, vide its letter no.817/Nirv., dated 11 August, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Arwal**, in his Supplementary Report, vide its letter No.817/Nirva., dated 11 August, 2021 has reported that **Sh. Sanjay Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Sanjay Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sanjay Kumar**, resident of **Vill+ Post- Bailkhra, Thana- Karpi, Dist.- Arwal**, a contesting candidate from **214 – Arwal**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/214/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 221.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 214 – अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार के पत्र सं. 3083 दिनांक 22 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-214)अरवल -112 के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शशि भूषण सिन्हा, जो बिहार के 214 – अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शशि भूषण सिन्हा, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शशि भूषण सिन्हा, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के पत्नी श्रीमती चिन्ता देवी द्वारा दिनांक 13.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शशि भूषण सिन्हा, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शशि भूषण सिन्हा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **214 – अरवल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री शशि भूषण सिन्हा, निवासी पटेल नगर, राजाबाजार, थाना+जिला-जहानाबाद** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/214/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 221.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **214- Arwal** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **22nd December, 2020**, vide letter no. 3083 submitted by the District Election Officer, **Arwal**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 214)- **Arwal** - 112, dated 05 January, 2021, **Sh. Sashi Bhushan Sinha**, a contesting candidate of Bihar from **214 – Arwal** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Arwal**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sashi Bhushan Sinha**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Sashi Bhushan Sinha**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate's wife Smt. Chinta Devi on 13th July, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Arwal**, vide its letter no.817/Nirv., dated 11 August, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Arwal**, in his Supplementary Report, vide its letter No.817/Nirv., dated 11 August, 2021 has reported that **Sh. Sashi Bhushan Sinha**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Sashi Bhushan Sinha**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sashi Bhushan Sinha**, resident of **Patel Nagar, Rajabajar, Thana+Distt- Jehanabad** a contesting candidate from **214 – Arwal**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a

member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/214/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 222.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 214 – अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार के पत्र सं. 3083 दिनांक 22 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-214)अरवल -112 के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री गोरख रजवार, जो बिहार के 214 – अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गोरख रजवार, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गोरख रजवार, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के माता श्रीमती धूपतिया देवी द्वारा दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 817/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गोरख रजवार, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गोरख रजवार, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **214 – अरवल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री गोरख रजवार, निवासी ग्राम- नारायण बिगहा, पो0- सकरी खूँद, जिला- अरवल** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/214/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 222.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **214- Arwal** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **22nd December, 2020**, vide letter no. 3083 submitted by the District Election Officer, **Arwal**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 214)- **Arwal** - 112, dated 05 January, 2021, **Sh. Gorakh Rajwar**, a contesting candidate of Bihar from **214 – Arwal** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Arwal**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Gorakh Rajwar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Gorakh Rajwar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate's mother Smt. Dhurupatiya Devi on 12th July, 2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Arwal**, vide its letter no.817/Nirv., dated 11 August, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Arwal**, in his Supplementary Report, vide its letter No.817/Nirva., dated 11 August, 2021 has reported that **Sh. Gorakh Rajwar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Gorakh Rajwar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Gorakh Rajwar**, resident of **vill- Narayanpur Bigha, Post-Sakri Khurad, Dist- Arwal** a contesting candidate from **214 – Arwal**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/214/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 223.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 172-बिहारशरीफ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा बिहार के पत्र सं. 467 दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-172) बिहारशरीफ -116 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **इरशाद अहमद** जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **172-बिहारशरीफ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **इरशाद अहमद**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **इरशाद अहमद**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी, द्वारा दिये गये पते पर मा जमाल के द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, द्वारा अपने दिनांक 31 जुलाई, 2021 के पत्र संख्या 103/निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, द्वारा अपने दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **इरशाद अहमद**, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **इरशाद अहमद**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **172-बिहारशरीफ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **इरशाद अहमद, निवासी मो0- अलीनगर, पो0- अनिसाबाद, जिला- पटना-2** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/172/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 223.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **172- Bihar Sharif** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **19th December, 2020**, vide letter no. 467 submitted by the District Election Officer, **Nalanda**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-172)**Bihar Sharif**- 116, dated 05 January, 2021, **Irshad Ahmad**, a contesting candidate of Bihar from **172- Bihar Sharif** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Nalanda**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Irshad Ahmad**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Irshad Ahmad**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the Ma Jamal on 13th July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Nalanda**, vide its letter no.103/Nirv., dated 31 July, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Nalanda**, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirv., dated 25 August, 2021 has reported that **Irshad Ahmad**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Irshad Ahmad**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Irshad Ahmad**, resident of **Mohalla- Alinagar, Post- Anishabad, Dist.-Patna-2**, a contesting candidate from **172- Biharsharif**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/172/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 224.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 172—बिहार शरीफ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा बिहार के पत्र सं. 467 दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं. व्यय-21/2020(खंड-172) बिहारशरीफ -116 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **मो० शफीर आलम**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **172—बिहारशरीफ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **मो० शफीर आलम**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **मो० शफीर आलम**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के भाई मो० सयी हैदर, द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, द्वारा अपने दिनांक 31 जुलाई, 2021 के पत्र संख्या 103/निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, द्वारा अपने दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **मो० शफीर आलम**, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मो० शफीर आलम**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **172-बिहारशरीफ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **मो० शफीर आलम**, निवासी **मो०- सकुनत कलॉ, पो०+थाना-बिहारशरीफ, जिला- नालन्दा**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/172/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 224.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **172- Bihar Sharif** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **19th December, 2020**, vide letter no. 467 submitted by the District Election Officer, **Nalanda**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-172)**Bihar Sharif**- 116, dated 05 January, 2021, **MD. Safir Alam**, a contesting candidate of Bihar from **172- Bihar Sharif** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Nalanda**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **MD. Safir Alam**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **MD. Safir Alam**, was directed to submit his representation in

writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate's brother MD. Sayi Haidar on 12th July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Nalanda**, vide its letter no.103/Nirv., dated 31, July 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Nalanda**, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirva., dated 25 August, 2021 has reported that **MD. Safir Alam**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **MD. Safir Alam**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **MD. Safir Alam**, resident of **Mohalla- Sakunat Kala, Post+PS-Biharsharif, Dist.-Nalanda**, a contesting candidate from **172- Biharsharif**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/172/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

आ.अ. 225.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 222 – कुदुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **औरंगाबाद**, बिहार के पत्र सं. 228 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-222) **कुदुम्बा -35** के जरिए अग्रेषित दिनांक 4 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री कृष्णा राम**, जो बिहार के **222 – कुदुम्बा (अ0जा0)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **औरंगाबाद**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कृष्णा राम, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कृष्णा राम, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के पुत्र सुरज प्रकाश द्वारा दिनांक 29.11.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 04.12.2021 के पत्र संख्या 14/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दिनांक 14.03.2022 के पत्र संख्या 51/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कृष्णा राम, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कृष्णा राम, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 222 – कुटुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कृष्णा राम, निवासी ग्राम+पोस्ट- खाजूरी टिका, थाना- तानडवा, जिला- औरंगाबाद, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/222/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st August, 2022

O.N. 225.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 222- Kutumba (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated 24 December, 2020, vide letter no. 228 submitted by the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 222)- Kutumba (SC) - 35, dated 04 January, 2021, Sh. Krishna Ram, a contesting

candidate of Bihar from **222 – Kutumba (SC)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Aurangabad**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Krishna Ram**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Krishna Ram**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate's son Suraj Prakash on 29.11.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Aurangabad**, vide its letter no.14/Nirv., dated 04.12.2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Aurangabad**, in his Supplementary Report, vide its letter No.51/Nirva., dated 14.03.2022 has reported that **Sh. Krishna Ram**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Krishna Ram**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Krishna Ram**, resident of **Vill+PO- Khajuri Tika, PS- Tandwa, Distt- Aurangabad**, contesting candidate from **222 – Kutumba (SC)**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/222/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

आ.अ. 226.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 222 – कुटुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **औरंगाबाद**, बिहार के पत्र सं. 228 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-222) **कुटुम्बा -35** के जरिए अग्रेषित

दिनांक 4 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विकेश पासवान, जो बिहार के 222 – कुदुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विकेश पासवान, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विकेश पासवान, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 06.09.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 30.11.2021 के पत्र संख्या 138/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दिनांक 30.11.2021 के पत्र संख्या 138/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विकेश पासवान, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विकेश पासवान, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 222 – कुदुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विकेश पासवान, निवासी ग्राम- मीरपुर, पोस्ट+थाना- कुदुम्बा, जिला- औरंगाबाद, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/222/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st August, 2022

O.N. 226.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **222- Kutumba (SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **24 December, 2020**, vide letter no. 228 submitted by the District Election Officer, **Aurangabad**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 222)- **Kutumba (SC)** - 35, dated 04 January, 2021, **Sh. Vikesh Paswan**, a contesting candidate of Bihar from **222 – Kutumba (SC)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Aurangabad**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vikesh Paswan**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Vikesh Paswan**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 06.09.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Aurangabad**, vide its letter no.138/Nirv., dated 30.11.2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Aurangabad**, in his Supplementary Report, vide its letter No.138/Nirv., dated 30.11.2021 has reported that **Sh. Vikesh Paswan**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Vikesh Paswan**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vikesh Paswan**, resident of **Vill- Mirpur, PO+PS- Kutumba, Distt- Aurangabad**, contesting candidate from **222 – Kutumba (SC)**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/222/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

आ.अ. 227.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 222 – कुदुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार के पत्र सं. 228 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-222) कुदुम्बा -35 के जरिए अग्रेषित दिनांक 4 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनिल कुमार, जो बिहार के 222 – कुदुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अनिल कुमार, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनिल कुमार, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 06.09.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 14 मार्च, 2022 के पत्र संख्या 51/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दिनांक 30.11.2021 के पत्र संख्या 138/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनिल कुमार, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनिल कुमार, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 222 – कुदुम्बा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम- रामाबन्ध गिराज, वार्ड नं0. 4 पोस्ट+थाना+जिला- औरंगाबाद, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/222/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st August, 2022

O.N. 227.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **222- Kutumba (SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **24 December, 2020**, vide letter no. 228 submitted by the District Election Officer, **Aurangabad**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 222)- **Kutumba (SC)** - 35, dated 04 January, 2021, **Sh. Anil Kumar**, a contesting candidate of Bihar from **222 – Kutumba (SC)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Aurangabad**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Anil Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Anil Kumar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 06.09.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Aurangabad**, vide its letter no.51/Nirv., dated 14.03.2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Aurangabad**, in his Supplementary Report, vide its letter No.138/Nirva., dated 30.11.2021 has reported that **Sh. Anil Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Anil Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Anil Kumar**, resident of **Vill- Ramabandh Giraj, ward no. 4 PO+PS+Distt- Aurangabad** contesting candidate from **222 – Kutumba (SC)**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/222/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2022

आ.अ. 228.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 214— अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल बिहार के पत्र सं. 3083 दिनांक 22 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-214) अरवल -112 के जरिए अप्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री भीम पासवान जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **214—** अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री भीम पासवान, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 17 सितम्बर, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री भीम पासवान, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के चाचा श्री ललन पासवान के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, द्वारा अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के पत्र संख्या 1184/निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अरवल, द्वारा अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के पत्र संख्या 1184/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री भीम पासवान, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री भीम पासवान, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **214- अरवल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री भीम पासवान, निवासी ग्राम+पो0- सियारामपुर, थाना- पालीगंज, जिला- पटना**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/214/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2022

O.N. 228.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **214-Arwal** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated **22th December, 2020**, vide letter no. 3083 submitted by the District Election Officer, **Arwal**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-214)Arwal -112 dated 05 January, 2021, **Sh. Bhim Paswan**, a contesting candidate of Bihar from **214-Arwal** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Arwal**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 17th September, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Bhim Paswan**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 17th September, 2021, **Sh. Bhim Paswan**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the Candidate's Uncle Sh. Lalan Paswan on 26th October, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Arwal**, vide its letter no.1184/District.Nirva, dated 13 December, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Arwal**, in his Supplementary Report, vide its letter No.1184/Nirva. dated 13 December, 2021 has reported that **Sh. Bhim Paswan**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Bhim Paswan**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bhim Paswan**, resident of **Vill+Post- Siyarampur, Thana-**

Paliganj, Dist.- Patna, a contesting candidate from **214-Arwal** Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/214/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 229.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **208—सासाराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **208—सासाराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-208)सासाराम -7813, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री अरुण कुमार**, जो बिहार के **208—सासाराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अरुण कुमार** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री अरुण कुमार** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **रोहतास** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रोहतास** ने अपने पत्र स. 536/ निर्वा0 दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस **श्री अरुण कुमार** द्वारा 19.08.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रोहतास** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 536/निर्वा0, दिनांक 14 .05.2022 में यह कहा है कि **श्री अरुण कुमार** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री अरुण कुमार** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अरुण कुमार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 208— सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अरुण कुमार, निवासी-मोहल्ला-भारतीगंज, वार्ड स.-20, पोस्ट+थाना-सासाराम, जिला-रोहतास इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/208/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 229.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 208-Sasaram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21st December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-208)Rohtas/7740, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Rohtas, Bihar, **Shri Arun Kumar**, a contesting candidate from **208-Sasaram** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Arun Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Arun Kumar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Rohtas**, vide its letter no. 536/Nir. dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 19.08.2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 536/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that **Shri Ajay Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Arun Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under*

this Act, and

ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Arun Kumar**, resident of **Mohalla-Bhartiganj, Ward No.-20, Post+Thana- Sasaram, District- Rohtas**, a contesting candidate from 208- Sasaram Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/208/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 230.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी०.एन०/64/2020 के अनुसरण में **208—सासाराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **208—सासाराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-208)सासाराम -7813, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्रीमती अमला त्रिपाठी**, जो बिहार के **208—सासाराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती अमला त्रिपाठी** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्रीमती अमला त्रिपाठी** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने अपने पत्र सं. 536/ निर्वा० दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस श्रीमती अमला त्रिपाठी द्वारा 19.08.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 536/निर्वा०, दिनांक 14 .05.2022 में यह कहा है कि **श्रीमती अमला त्रिपाठी** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्रीमती अमला**

त्रिपाठी ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अमला त्रिपाठी, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 208— सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अमला त्रिपाठी, निवासी-ग्राम-कुरी, थाना-नोखा, जिला-रोहतास इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/208/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 230.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 208-Sasaram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21st December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-208)Rohtas/7740, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Rohtas, Bihar, **Smt. Amla Tripathi**, a contesting candidate from **208-Sasaram** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas, Bihar** Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Amla Tripathi**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Smt. Amla Tripathi** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Rohtas, vide its letter no. 536/Nir. dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 19.08.2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Rohtas, in his Supplementary Report, vide its letter No. 536/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that **Shri Ajay Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Amla Tripathi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Amla Tripathi**, resident of **Village- Kuri, Thana- Nokha, District- Rohtas**, a contesting candidate from 208- Sasaram Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/208/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 231.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **208—सासाराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **208—सासाराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-208)सासाराम -7813, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री अजय कुमार सिंह**, जो बिहार के **208—सासाराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अजय कुमार सिंह** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अजय कुमार सिंह को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने अपने पत्र सं. 536/ निर्वा0 दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस श्री अजय कुमार सिंह द्वारा 19.08.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 536/निर्वा0, दिनांक 14 .05.2022 में यह कहा है कि श्री अजय कुमार सिंह ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री अजय कुमार सिंह ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजय कुमार सिंह, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 208- सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अजय कुमार सिंह, निवासी- ग्राम-घटमापुर, थाना-सासाराम(मु.) पोस्ट ऑफिस-करवंदिया, जिला-रोहतास इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/208/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 231.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 208-Sasaram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21st December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-208)Rohtas/7740, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Rohtas, Bihar, Shri Ajay Kumar Singh, a contesting candidate from 208-Sasaram Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Rohtas**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Ajay Kumar Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Ajay Kumar Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Rohtas**, vide its letter no. 536/Nir. dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's brother, Bittu Kumar, on 19.08.2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 536/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that **Shri Ajay Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Ajay Kumar Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ajay Kumar Singh**, resident of **Village+Post- Saankh, Bhaya-Raajoda, Thana- Musphil, District- Rohtas**, a contesting candidate from 208- Sasaram Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/208/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 232.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **79-गौडाबौराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-79) गौडाबौराम -7794, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री रणधीर कुमार**, जो बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने

वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रणधीर कुमार** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री रणधीर कुमार** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** ने अपने पत्र सं. 12/निर्वा0 दिनांक 5.01.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के चाचा श्री लक्ष्मण यादव को दिनांक **14.07.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 585/निर्वा0, दिनांक 24.05.2022 में यह कहा है कि **श्री रणधीर कुमार** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री रणधीर कुमार** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रणधीर कुमार**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **बिहार के 79-गौडाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रणधीर कुमार**, निवासी - **ग्राम- मंगूरा, पोस्ट- पुनहद, थाना- घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/79/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 232.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25th September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 79-Gaurabauram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 23rd December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-79)Gaurabauram/7794, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, **Darbhangha**, Bihar, **Shri Randheer Kumar**, a contesting candidate from 79-Gaurabauram Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Darbhanga**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Randheer Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Randheer Kumar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Darbhanga**, vide its letter no. 12/Nir. dated 5.01.2022 informed to the Commission that the said notice was received by Uncle of Shri Randheer Kumar on 14.07.2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Darbhanga**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 585/Nir. Dated 24.05.2022 has reported that **Shri Randheer Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Randheer Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Randheer Kumar**, resident of **Village- Mangura ,Post-Punhad, P.S – Ghanshyampur, Dist. - Darbhanga** a contesting candidate from 79-Gaurabauram Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/79/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 233.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी०.एन०/64/2020 के अनुसरण में **79-गौडाबौराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला

निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के 79-गौडाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-79) गौडाबौराम -7794, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्री शुभ कान्त सदा, जो बिहार के 79-गौडाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शुभ कान्त सदा को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री शुभ कान्त सदा को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा ने अपने पत्र सं. 12/ निर्वा0 दिनांक 5.01.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी को दिनांक 14.07.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 585/निर्वा0, दिनांक 24.05.2022 में यह कहा है कि श्री शुभ कान्त सदा ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री शुभ कान्त सदा ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शुभ कान्त सदा, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 79-गौडाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री शुभ कान्त सदा, निवासी- ग्राम- लगमा, पोस्ट- लगमा, थाना- घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/79/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 233.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 79-Gaurabauram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 23rd December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-79)Gaurabauram/7794, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, **Darbhanga**, Bihar, **Shri Shubh Kant Sada**, a contesting candidate from **79-Gaurabauram** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Darbhanga**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Shubh Kant Sada**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Shubh Kant Sada** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Darbhanga**, vide its letter no. 12/Nir. dated 5.01.2022 informed to the Commission that the said notice was received by **Shri Shubh Kant Sada** on 14.07.2022;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Darbhanga**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 585/Nir. Dated 24.05.2022 has reported that **Shri Shubh Kant Sada**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Shubh Kant Sada**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shubh Kant Sada**, resident of **Vill- Lagma, Post- Lagma, Thana- Ghanshyampur, Dist.- Darbhanga**, a contesting candidate from **79-Gaurabauram** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/79/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 234.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी.एन./64/2020 के अनुसरण में **79-गौडाबौराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-79) गौडाबौराम -7794, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सत्य नारायण पासवान**, जो बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सत्य नारायण पासवान** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री सत्य नारायण पासवान** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** ने अपने पत्र सं. 12/ निर्वा0 दिनांक 5.01.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी को दिनांक **14.07.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 585/निर्वा0, दिनांक 24.05.2022 में यह कहा है कि **श्री सत्य नारायण पासवान** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री सत्य नारायण पासवान** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा*

(ख) *उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,*

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सत्य नारायण पासवान, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 79-गौड़ाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सत्य नारायण पासवान, निवासी ग्राम- विष्णुपुर घाट, पोस्ट- दक्षिणी कसरौर, थाना- घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/79/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 234.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 79-Gaurabauram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 23rd December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-79)Gaurabauram/7794, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Darbhanga, Bihar, **Shri Satya Narayan Paswan**, a contesting candidate from 79-Gaurabauram Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Darbhanga, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Satya Narayan Paswan**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Satya Narayan Paswan** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Darbhanga, vide its letter no. 12/Nir. dated 5.01.2022 informed to the Commission that the said notice was received by **Shri Satya Narayan Paswan** on 14.07.2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Darbhanga, in his Supplementary Report, vide its letter No. 585/Nir. Dated 24.05.2022 has reported that **Shri Satya Narayan Paswan**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Satya Narayan Paswan**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Satya Narayan Paswan**, resident of **Vill- Vishnupur Ghat, Post- Dakshini Kasrour, Thana- Ghanshyampur, Dist.- Darbhanga**, a contesting candidate from **79-Gaurabauram** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/79/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 235.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **79-गौडाबौराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-79) गौडाबौराम -7794, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन**, जो बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** ने अपने पत्र सं. 12/ निर्वा0 दिनांक 5.01.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी को दिनांक **14.07.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दरभंगा** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 585/निर्वा0, दिनांक 24.05.2022 में यह कहा है कि **श्री ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 79-गौडाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन, निवासी ग्राम- लवटोलिया, लक्ष्मीनिया, पोस्ट- बेरि, थाना- कुशेश्वर स्थान, जिला- दरभंगा इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/79/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 235.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25th September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 79-Gaurabauram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 23rd December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-79)Gaurabauram/7794, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Darbhanga, Bihar, **Shri Khwaza Mohammad Fakharuddin**, a contesting candidate from 79-Gaurabauram Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Darbhanga, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Khwaza Mohammad Fakharuddin**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Khwaza Mohammad Fakharuddin** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Darbhanga, vide its letter no. 12/Nir. dated 5.01.2022 informed to the Commission that the said notice was received by Shri Khwaza Mohammad Fakharuddin on 14.07.2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Darbhanga, in his Supplementary Report, vide its letter No. 585/Nir. Dated 24.05.2022 has reported that **Shri Khwaza Mohammad Fakharuddin**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Khwaza Mohammad Fakharuddin**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Khwaza Mohammad Fakharuddin**, resident of **Vill- Lavtoliya, Laxminia, Post- Beri, Thana- Kusheshwar Asthan, Dist- Darbhanga**, a contesting candidate from **79-Gaurabauram** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/79/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

आ.अ. 236.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **79-गौडाबौराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-79) गौडाबौराम -7794, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री अजय यादव**, जो बिहार के **79-गौडाबौराम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अजय यादव** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री अजय यादव** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा ने अपने पत्र सं. 12/ निर्वा0 दिनांक 5.01.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी को दिनांक **14.07.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दरभंगा ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 585/निर्वा0, दिनांक 24.05.2022 में यह कहा है कि श्री अजय यादव ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री अजय यादव ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजय यादव, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 79-गौडाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अजय यादव, निवासी ग्राम- लक्ष्मीनिया, पोस्ट- बेरि, थाना- कुशेशवर स्थान, जिला- दरभंगा इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/79/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 236.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 79-Gaurabauram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 23rd December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-79)Gaurabauram/7794, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Darbhanga, Bihar, Shri Ajay Yadav, a contesting candidate from 79-Gaurabauram Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Darbhanga, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ajay Yadav, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, Shri Ajay Yadav was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Darbhanga, vide its letter no. 12/Nir. dated 5.01.2022 informed to the Commission that the said notice was received by Shri Ajay Yadav on 14.07.2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Darbhanga, in his Supplementary Report, vide its letter No. 585/Nir. Dated 24.05.2022 has reported that **Shri Ajay Yadav,** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Ajay Yadav,** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE,** in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ajay Yadav,** resident of **Vill- Lashminiya, Post- Bairi, Thana- Kusheshwar Asthan, Dist.- Darbhanga** a contesting candidate from **79-Gaurabauram** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/79/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

आ.अ. 237.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **49-अररिया** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **49-अररिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-49)अररिया -101, दिनांक 05.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री जावेद आलम,** जो बिहार के **49-अररिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री जावेद आलम** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री जावेद आलम को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया ने अपने पत्र सं. 539/ निर्वा0 दिनांक 30.11.2021 से बताया है कि उक्त नोटिस श्री जावेद आलम द्वारा 14.07.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 298/निर्वा0, दिनांक 12.05.2022 में यह कहा है कि श्री जावेद आलम ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री जावेद आलम ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जावेद आलम, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 49-अररिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जावेद आलम, निवासी- ग्राम- भूना मजगमा, पोस्ट- भूना, थाना- महलगांव(जोकिहट), जिला-अररिया इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/49/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2022

O.N. 237.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 49- Araria Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 05.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-49)Araria/101, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Araria, Bihar, **Shri Jawwad Alam**, a contesting candidate from 49- Araria Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Araria**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Jawwad Alam**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Jawwad Alam** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Araria**, vide its letter no. 539/Nir. dated 30.11.2021 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's brother, Bittu Kumar, on 19.07.2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Araria**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 298/Nir. Dated 12.05.2022 has reported that **Shri Jawwad Alam**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Jawwad Alam**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Jawwad Alam**, resident of **Village – Bhuna Majgama, Post – Bhuna, P.S – Mahalgaon (Jokihat), Distt. - Araria** a contesting candidate from 49- Araria Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/49/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

आ.अ. 238.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 के अनुसरण में **63-कटिहार** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **63-कटिहार** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-63)कटिहार -211, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्री अशोक कुमार भगत, जो बिहार के **63-कटिहार** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले

अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अशोक कुमार भगत को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अशोक कुमार भगत को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने अपने पत्र सं. 341/निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पुत्र श्री शिवम कुमार एवं पत्नी वीणा देवी द्वारा 11.05.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि श्री अशोक कुमार भगत ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री अशोक कुमार भगत ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक कुमार भगत, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार भगत, निवासी- सलामत नगर, वार्ड न.-19, कटिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/63/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2022

O.N. 238.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 63-Katihar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-63)Katihar/211, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, **Shri Ashok Kumar Bhagat**, a contesting candidate from **63-Katihar** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Ashok Kumar Bhagat**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Ashok Kumar Bhagat** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Katihar, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's Son, Shivam Kumar and wife Vina Devi on 11.05.2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Katihar, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Shri Ashok Kumar Bhagat**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Ashok Kumar Bhagat**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ashok Kumar Bhagat**, resident of **Village – Salamat Nagar, Ward No. – 19, Katihar**, a contesting candidate from **63-Katihar** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/63/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

आ.अ. 239.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **67-मनिहारी (अ0ज0जा0)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला

निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के 67-मनिहारी (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-67)मनिहारी -203, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्री शिव नारायण उराँव, जो बिहार के 67-मनिहारी (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शिव नारायण उराँव को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री शिव नारायण उराँव को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा 14.05.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि श्री शिव नारायण उराँव ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री शिव नारायण उराँव ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शिव नारायण उराँव, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 67-मनिहारी (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री शिव नारायण उराँव, निवासी, ग्राम – मनोहरपुर, पोस्ट - नारायणपुर, थाना - मनिहारी, जिला - कटिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/67/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2022

O.N. 239.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 67- Manihari (ST) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-67)Manihari - 203, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, **Shri Shiv Narayan Oraon**, a contesting candidate from **67- Manihari (ST)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Shiv Narayan Oraon**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Shiv Narayan Oraon** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 14.05.2022;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Shri Shiv Narayan Oraon**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Shiv Narayan Oraon**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shiv Narayan Oraon**, resident of **Village – Manoharpur, PO-Narayanpur, PS – Manihari, Dist. - Katihar**, a contesting candidate from 67- Manihari (ST) Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/67/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

आ.अ. 240.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **67-मनिहारी (अ0ज0जा0)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **67-मनिहारी (अ0ज0जा0)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-67)मनिहारी -203, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री अरुण उराँव**, जो बिहार के **67-मनिहारी (अ0ज0जा0)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अरुण उराँव** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री अरुण उराँव** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने अपने पत्र सं. 341/निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा 13.05.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि **श्री अरुण उराँव** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री अरुण उराँव** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अरुण उराँव**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 67-मनिहारी (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अरुण उराँव, निवासी, ग्राम -बलुआ टोला, पोस्ट -मनसाही, थाना - मनसाही, जिला - कटिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/67/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2022

O.N. 240.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 67- Manihari (ST) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-67)Manihari – 203, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, **Shri Arun Urawn**, a contesting candidate from **67- Manihari (ST)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Arun Urawn**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Arun Urawn** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. Dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 13.05.2022;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Shri Arun Urawn**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Arun Urawn**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Arun Urawn**, resident of **Village – Balua tola, PO-Mansahi, PS – Mansahi, Dist. – Katihar**, a contesting candidate from 67- Manihari (ST) Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/67/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

आ.अ. 241.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **64- कदवा** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **64- कदवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-64) कदवा -210, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक- 12.12.2020 के अनुसार, **श्रीमती मीनू कुमारी**, जो बिहार के **64- कदवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती मीनू कुमारी** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/64/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्रीमती मीनू कुमारी** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा 09.05.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि **श्रीमती मीनू कुमारी** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्रीमती मीनू कुमारी** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती मीनू कुमारी, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 64- कदवा, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती मीनू कुमारी, निवासी मोफरगंज गदेरी टोला, कटिहार, जिला- कटिहार- 854105 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/64/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

O.N. 241.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **64- Kadwa** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-64) **Kadwa - 210**, on the basis of scrutiny report submitted date- 12.12.2020 by the **District Election Officer, Katihar**, Bihar, **Smt. Minu Kumar**, a contesting candidate from **64- Kadwa** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. **76/बिहार.वि. स/2020/64/सीईएमएस-III** dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Minu Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Smt. Minu Kumar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 09.05.2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Smt. Minu Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Minu Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Minu Kumar**, resident of **Mofarganj Gaderi Tola, Katihar, Distt- Katihar- 854105** a contesting candidate from **64- Kadwa** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/64/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

आ.अ. 242.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **65-बलरामपुर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-65)बलरामपुर -209, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक- 12.12.2020 के अनुसार, **श्री मुनब्वर हुसैन**, जो बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मुनब्वर हुसैन** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री मुनब्वर हुसैन** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के चाचा मोहम्मद अफजुद्दिन द्वारा 12.05.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि श्री मुनब्बर हुसैन ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री मुनब्बर हुसैन ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मुनब्बर हुसैन, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 65-बलरामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मुनब्बर हुसैन, निवासी- ग्राम – माहीनगर, पोस्ट - बिघौर हाट , थाना - बरसोई , जिला - कटिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/65/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

O.N. 242.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 65-Balrampur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-65)Balrampur-209, on the basis of scrutiny report date- 12.12.2020 submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, **Shri Munovar Husain**, a contesting candidate from **65-Balrampur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Katihar, Bihar** Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Munovar Husain**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Munovar Husain** was directed to submit his representation in writing with

explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Katihar, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's Uncle, Mohd. Affazuddin on 12.05.2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Katihar, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Shri Munovar Husain**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Munovar Husain**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Munovar Husain**, resident of **Village – Mahinagar, Post-Bighaur hat, PS – Barsoi, Distt.- Katihar (Bihar)** a contesting candidate from 65-Balrampur Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/65/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

आ.अ. 243.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **65-बलरामपुर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-65)बलरामपुर-209, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक- 12.12.2020 के अनुसार, **श्री साकिर आलम**, जो बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री साकिर आलम**

को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री साकिर आलम** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के छोटे भाई मिनहाज़ द्वारा 17.05.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि **श्री साकिर आलम** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री साकिर आलम** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री साकिर आलम**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 65-बलरामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री साकिर आलम**, निवासी- ग्राम बसलगावं, पोस्ट - बाटना, बाया बरसोई घाट, जिला - कटिहार (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/65/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

O.N. 243.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 65-Balrampur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-65)Balrampur-209, on the basis of scrutiny report dated- 12.12.2020 submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, **Shri Sakir Alam**, a contesting candidate from **65-Balrampur** Assembly Constituency of

Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Sakir Alam**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Sakir Alam** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's younger Brother, Minhaz, on 17.05.2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Shri Sakir Alam**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Sakir Alam**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sakir Alam**, resident of **Village – Basalgaon, Post- Batna , via- Barsoi Ghat, Distt.- Katihar (Bihar)** a contesting candidate from 65-Balrampur Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/65/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

आ.अ. 244.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **68- बरारी** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **68- बरारी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-68) बरारी -204, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक-12.12.2020 के अनुसार, श्री नसीम अख्तर, जो बिहार के 68- बरारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नसीम अख्तर को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/68/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री नसीम अख्तर को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की बहन सगुफता प्रवीण द्वारा 13.05.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि श्री नसीम अख्तर ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री नसीम अख्तर ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नसीम अख्तर, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 68- बरारी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नसीम अख्तर, निवासी बगहाबारी, जगरनाथपुर थाना+अंचल- हसनगंज, जिला- कटिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/68/सी.ई.एम.एस.-III]

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

O.N. 244.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **68- Barari** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-68) **Barari** - 204, on the basis of scrutiny report submitted date- 12.12.2020 by the **District Election Officer, Katihar**, Bihar, **Nasim Akhtar**, a contesting candidate from **68- Barari** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/68/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Nasim Akhtar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Nasim Akhtar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's Sister Sgufta Parveen on 13.05.2022;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Nasim Akhtar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Nasim Akhtar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Nasim Akhtar**, resident of **Vill- Baghabari, Jagarnathpur, P.S+Anchal- Hasanganj, Distt- Katihar** a contesting candidate from **68- Barari** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/68/CEMS-III]

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2022

आ.अ. 245.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 15 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 31 अगस्त, 2022 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

[फा.सं. 82/उ.प्र.-लो.स./15/2019(इला.)]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th October, 2022

O.N. 245.—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 31st August, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 15 of 2019.

[F.No. 82/UP-HP/15/2019(Alld.)]

By order,

AMIT KUMAR, Secy.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

=====

ELECTION PETITION NO. 15 OF 2019

[01 Lok Sabha Constituency, Saharanpur, District Saharanpur of the State of Uttar Pradesh, Under Sections 81, 82, 83, 84 & 100, 101 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951)]

DISTRICT: SAHARANPUR

Raghav Lakhanpal R/o H. No.1, Friends Colony, Delhi Road, District Saharanpur

.... The Petitioner

Versus

1. Haji Fajal-ur-Rehman, 4/1643 Nawab Ganj Link Road, Saharanpur
2. Imran Masood, Megh Chappar PTC, KV Colony, District Saharanpur
3. Mohd Uwais, H No. 6/2246, Mohalla Husainabad, District Saharanpur
4. Pawan Kumar, Village Anantmau, Post Office Anantmau, Tehsil Rampur Maniharan, District Saharanpur
5. Brijpal Singh, Village & Post Tapri Post Ambheta Chand, District Saharanpur
6. Yogesh Dahiya, Village Sawalpur Nawada, Nawada Road, District Saharanpur
7. Ravinder Kumar, Village Indrawali, Kalyanpur Post Office, Jankheda, District Saharanpur
8. Amar Bahadur, Village & Post Islam Nagar, Tehsil Nakud, District Saharanpur
9. Indu Devi, Village Nahar Majra Post Badhi, Tehsil Nakud, District Saharanpur
10. Shabnam, R/o Rakesh Talkies Nala Patri, Tehsil and District Saharanpur

.... The Respondents

Court No. - 40

Case :- ELECTION PETITION No. - 15 of 2019**Petitioner :-** Raghav Lakhanpal**Respondent :-** Haji Fajal-Ur- Rehman And 9 Others **Counsel for****Petitioner :-** Ajay Kumar Sharma, Ajay Kumar Sharma, In Person, Raghav Lakhanpal**Counsel for Respondent :-** K.C. Sinha, Ch. Dil Nisar, Krishna Chandra Sinha

Hon'ble Siddhartha Varma, J.

Civil Misc. Withdrawal Application No.22 of 2022: (A-37):

This application has been filed with a prayer that the election petition be dismissed as withdrawn.

When the application was filed, an order was passed on 25.7.2022 which is being reproduced here as under :-

"This application being application A-37 has been filed under section 109 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the 'Act') for withdrawal of the election petition after serving it on Sri K.C.Sinha, learned counsel for the respondent no.1.

Let notices be issued to the other respondents indicating that the application would be taken up on 24.8.2022. In this regard, publication be also made in the official gazette as per the provisions of section 110 of the Act.

Learned counsel for the petitioner may take appropriate steps. List this case on 24.8.2022 at 3.00 PM."

In pursuance thereof, the petitioner took steps, by registered post, to serve all the respondents in the case.

Today, an affidavit of compliance has also been filed wherein the Gazette Notification for the withdrawal of Election Petition No.15 of 2019 has been published. The affidavit be taken on record.

Under such circumstances, the instant application deserves to be allowed and is, accordingly, allowed. The election petition, therefore, stands dismissed as withdrawn.

This order has been passed in presence of Sri Shakti Swaroop Nigam, learned Senior Counsel appearing for the petitioner assisted by Sri Ajay Kumar Sharma, Advocate and learned counsel for the respondents Sri K.C. Sinha assisted by Sri Vibhu Sinha and Chaudhary Dil Nisar, Advocates.

Order Date :-
31.8.2022GS

sd/-

SIDDHARTHA VARMA, J.